

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2016

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें
Candidate should write his Roll No. here

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 19
No. of Printed Pages : 19

निर्णय लेखन
चतुर्थ प्रश्न-पत्र
JUDGMENT WRITING
Fourth Paper

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

**Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder -
10 Marks**

PLAINTIFF'S PLEADINGS –

- (i) The plaintiff had entered into an agreement with defendant No.1 to purchase house No. 555 located at Jabalpur Main Road, Sadar Bazar. Both the parties had executed an agreement. According to the terms, defendant No.1 had to sell the said property for Rs. 2,00,000/-. The plaintiff had paid Rs. 20,000/- as earnest money to the defendant No.1 and had agreed to purchase the property within 3 months from the agreement dated 1.1.2006.
- (ii) According to plaintiff he was ready and willing to purchase the said property. He requested defendant to get the sale-deed executed in his favour but defendant No.1 tried to avoid the execution of the sale-deed. In the meanwhile, he came to know from reliable sources that the defendant No.1 is trying to sell the property to defendant No.2. The plaintiff served a notice on both the defendants stating that there is a prior agreement with the plaintiff for the sale of the property, hence defendant No.1 has no right to sell the said property to defendant No.2.
- (iii) Both the defendants on 3.4.2006 received the notice. Despite that, the defendant No.2 purchased the property from defendant No.1 on 5.4.2006 for a sum of Rs. 3,00,000/-. The possession was also handed over to the defendant No.2. The plaintiff filed the present suit for declaration and specific performance of contract claiming that the sale-deed executed by the defendant No.1 in favour of defendant No.2 be declared null and void and not binding on the plaintiff and that the defendant No.1 be directed to execute sale deed in his favour, since he is ready to pay the remaining price of the property. According to plaintiff he was and is ready and willing to perform his part of contract.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

- (I) The defendant No.1 filed his separate Written Statement. According to him, his tender for transportation of goods from railway station to the godown of a factory was accepted and the transportation work was to commence from 1.7.2006. Since he had to purchase a Mini Truck, he entered into the agreement with plaintiff to the sell the property. Possession of a mini truck was a condition precedent for the execution of the work-order. The plaintiff had knowledge of the situation. This condition was embodied in the agreement also. This fact was also specifically stated in the agreement.
- (ii) It was further pleaded that for the whole period of three months the plaintiff did not contact him for execution of the sale-deed. All of a sudden, he served a notice on him and the defendant No.2 with whom he had already entered in to an agreement for sale of the said property. Since it was a transaction in which time was essence of contract, the plaintiff had no right to claim any specific performance. On the contrary the defendant No.1 had a right to forfeit the earnest money also. Defendant No.1 sought compensatory costs from the plaintiff as per the provision of Section 35 of C.P.C. because the plaintiff had never expressed his willingness for the performance of his part of the contract. Defendant No.1 prayed that suit be dismissed with costs.
- (iii) While supporting the pleadings made by the defendant No.1, defendant No.2 pleaded that since the plaintiff did not get the sale-deed executed within the specified time, he rightly purchased the said property. He admitted that he had knowledge about the prior agreement of sale with plaintiff. Defendant No.2 also sought compensatory costs from the plaintiff as per the provision of Section 35 of C.P.C.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन -

1. वादी ने प्रतिवादी से जबलपुर सदर बाजार मुख्य सड़क पर गृह क्रमांक 555 क्रय करने का करार किया था। दोनों पक्षकारगण ने करार को निष्पादित किया था। निर्बन्धनों के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक-1 ने 2,00,000/- रुपये में कथित सम्पत्ति का विक्रय तय किया था। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को अग्रिम

धनराशि के रूप में 20,000/- दिये थे और करार दिनांक 1-1-2006 से तीन मास के भीतर सम्पत्ति को खरीदना तय किया था।

2. वादी के अनुसार वह कथित सम्पत्ति को क्रय करने के लिए तत्पर और इच्छुक था। उसने प्रतिवादी से अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का आग्रह किया, किंतु प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विक्रय विलेख निष्पादित करने में टालमटोल करने का प्रयास किया। इसी बीच विश्वस्त सूत्रों से उसे ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी क्रमांक-1 प्रतिवादी क्रमांक-2 को सम्पत्ति विक्रय करने का प्रयास कर रहा है, वादी ने दोनों प्रतिवादीगण को यह कहते हुए नोटिस तामील किया कि गृह बेचने के लिए वादी के बीच एक पूर्ववर्ती करार है और इसलिए प्रतिवादी क्रमांक-1 को प्रतिवादी क्रमांक-2 को कथित सम्पत्ति का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. दिनांक 3-4-2006 को दोनों प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त हुआ। इसके बावजूद भी प्रतिवादी क्रमांक-2 ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से दिनांक 5-4-2006 को 3,00,000/- रुपये में सम्पत्ति क्रय कर ली। सम्पत्ति का कब्जा भी प्रतिवादी क्रमांक-2 को प्रदान कर दिया गया। वादी ने यह वाद वास्ते घोषणा तथा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए यह कहते हुए दाखिल किया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा 2 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख शून्य घोषित किया जावे और यह घोषित किया जावे कि यह विक्रय वादी पर बाध्यकारी नहीं होगा तथा यह प्रार्थना की कि प्रतिवादी क्रमांक-1 को करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु विवादित सम्पत्ति को वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया जावे क्योंकि वादी सम्पत्ति की शेष विक्रय राशि उसे अदा करने को तत्पर था और है। वादी के अनुसार वह संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था और है।

प्रतिवादी के अभिवचन -

1. प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपना पृथक लिखित कथन दाखिल किया। उसके अनुसार, रेल्वे स्टेशन से माल को कम्पनी के गोदाम तक ढुलाई के लिए उसकी निविदा स्वीकृत की गई थी और ढुलाई कार्य दिनांक 1-7-2006 से प्रारम्भ होना था। चूँकि उसको एक मिनी ट्रक क्रय करना था, इसलिए उसने वादी के साथ कथित सम्पत्ति को विक्रय करने का करार किया था। मिनी ट्रक का आधिपत्य कार्य-आदेश के अनुपालन के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी। वादी इस स्थिति को जानता था। शर्तों के इस निर्बंधन को करार में भी विशिष्ट रूप से समाविष्ट किया गया था। इस तथ्य को विशेष रूप से करार में भी कहा गया था।
2. आगे यह भी कहा गया कि सम्पूर्ण तीन मास की अवधि तक विक्रय-पत्र निष्पादन के लिए वादी ने उससे संपर्क नहीं किया। अचानक उसने उस पर और प्रतिवादी क्रमांक-2 पर एक नोटिस तामील कराया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने कथित सम्पत्ति के विक्रय के लिए करार किया था। चूँकि यह एक ऐसा संव्यवहार था जिसमें संविदा के लिए समय आवश्यक तत्व था, इसलिए अब वादी को कोई विशिष्ट अनुपालन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके प्रतिकूल प्रतिवादी को अग्रिम धनराशि भी समपहृत करने का अधिकार है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने सी.पी.सी. की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार वादी से प्रतिकारात्मक खर्च की माँग की और यह कहा कि वादी ने संविदा का विशिष्ट

पालन करने के लिए कभी रजामंदी दर्शित नहीं की। प्रतिवादी क्र०-1 ने खर्च के साथ दावा निरस्त किए जाने की याचना की।

3. प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा किये गये अभिवचनों को समर्थित करते हुए प्रतिवादी क्रमांक-2 ने यह निवेदन किया है कि चूँकि वादी ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करवाया था इसलिए उसने उचित रूप से कथित सम्पत्ति को क्रय किया है। उसने यह स्वीकार किया है कि उसको वादी के साथ पूर्व विक्रय करार के संबंध में जानकारी थी। प्रतिवादी क्रमांक-2 ने सी.पी.सी. की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार वादी से प्रतिकारात्मक खर्च की माँग की है।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS -

1. In brief, the case of prosecution is that on dated 16.12.1998 in the night at about 3:30 when complainant Ashish alias Shyam had come on motorcycle to his house, at that time accused came on motorcycle armed with .35 bore revolver and fired at complainant with an intention to kill him, which hit at the abdomen of the complainant. On hearing the shrieks at the gate of the house, his father Balveer Singh Chauhan come down to open the gate of the house, at that time accused fled away on the motorcycle towards Gwalior. Accused committed this act of firing to kill the complainant Ashish due to business rivalry. Ramesh Mistri and Shailendra were present at the time of the incident.
2. The complainant was taken to Police Chowki, Phool Bagh by Auto by his father Balveer Singh Chauhan and brother Shailendra, thereafter Balveer Singh Chauhan lodged the report that was registered as Dehati Nalishi by A.S.I. Punjab Singh and the complainant was referred to J.A. Hospital for treatment. On the basis of Dehati Nalishi Head Constable Rajendra Bhaskar registered an FIR.
3. During investigation, MLC report was received from the Hospital, Spot map was prepared. One bullet which had hit on the motorcycle was seized by seizure memo. Clothes which were worn by the complainant, at the time of incident, were also seized by seizure memo. One bullet which was taken out from the stomach of the complainant Ashish was also seized

by seizure memo. Both the bullets as well as clothes were sent to the F.S.L. Sagar from where report was received.

4. The police after registering the offence took up the investigation and arrested accused and on his information seized an unlicensed revolver. After completion of investigation police submitted charge-sheet in the committal Court, who on its turn committed the case to the Court of Session where from it was received by the trial court for the trial.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

1. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16-12-1998 को लगभग 3.30 बजे रात में जब परिवादी आशीष उर्फ श्याम अपने घर मोटर साईकिल पर गया था, उसी समय अभियुक्त मोटर साईकिल पर .35 बोर की रिवॉल्वर के साथ सज्जित होकर आया और परिवादी पर उसे मार डालने के आशय से फायर किया जो परिवादी के पेट में लगा। मकान के दरवाजे पर चीखने की आवाज सुनकर उसके पिता बलवीर सिंह चौहान नीचे आये और मकान का दरवाजा खोला, उसी समय अभियुक्त मोटर साईकिल पर ग्वालियर की ओर भाग गया। अभियुक्त द्वारा फायर करने का यह कृत्य परिवादी आशीष से व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जान से मारने के आशय से कारित किया गया था। रमेश मिस्त्री और शैलेन्द्र घटना के समय उपस्थित थे।
2. परिवादी को उसके पिता बलवीर सिंह चौहान और भाई शैलेन्द्र के द्वारा आटो से पुलिस चौकी फूलबाग ले जाया गया। इसके पश्चात् बलवीर सिंह चौहान द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई जो ए.एस.आई. पंजाब सिंह के द्वारा देहाती नालसी के रूप में पंजीबद्ध की गई और परिवादी को जे.ए. अस्पताल उपचार के लिये भेजा गया। देहाती नालसी के आधार पर प्रधान आरक्षक राजेन्द्र भास्कर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की।
3. अन्वेषण के दौरान अस्पताल से एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त की गई, स्थल का नक्शा तैयार किया गया। एक गोली जो मोटर साईकिल पर लगी थी, को जप्ती पत्रक के द्वारा जप्त किया गया। घटना के समय परिवादी जो कपड़े पहने था, वह भी जप्ती पत्रक के द्वारा जप्त किये गये। परिवादी आशीष के पेट से निकाली गई गोली भी जप्ती पत्रक के द्वारा जप्त की गई। दोनों गोलियों के साथ-साथ कपड़े एफ.एस.एल. सागर को भेजे गये जहां से रिपोर्ट प्राप्त की गई।
4. अपराध के पंजीबद्ध होने के पश्चात् पुलिस ने अन्वेषण किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी सूचना पर बिना लायसेंस की रिवॉल्वर जप्त की। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा अभियोग-पत्र उपापण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे सेशन न्यायालय को उपापण किया गया और जहां से इसे विचारण न्यायालय द्वारा विचारण हेतु प्राप्त किया गया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

- (1) The pleadings of plaintiff in brief are that the plaintiff is the "Bhoomiswami" of agricultural land bearing Khasra No.412, 425, 643 and 648, total area 26.571 hectare situated in Village Gauriya, Tehsil and District Chattarpur. Being in need of money the plaintiff borrowed Rs. 85,000/- from the defendant and mortgaged his agriculture land by executing mortgage deed on 23.09.1989 and got it registered. As per mortgage deed the possession of agriculture land was also handed over to the defendant and it was stipulated that the profit from agriculture produce will be adjusted towards principal money and interest of the loan amount. Since then the defendant is in possession of mortgage land and receiving profits. The defendant by the said profit from the agriculture land has earned more amount of money than the mortgage money. However, despite several requests the defendant is not ready to deliver the possession of mortgaged lands back to plaintiff. In 2006, the defendant claiming himself as occupancy tenant, submitted an application before the Tehsildar for recording his name as "Bhoomi Swami". The plaintiff as soon as came to know about it filed an objection. However, the tehsildar on 16.07.2007 passed the order in favour of defendant for mutation. Since the land was never transferred to defendant and he never had been an occupancy tenant, the action of Tehsildar was illegal, therefore, the plaintiff filed this suit for getting the order of the Tehsildar set-aside and for recovery of possession of the agriculture land.

Defendant's Pleadings :-

- (2) The defendant denying the plaintiff's pleadings filed in the written statement and pleaded that the plaintiff's agriculture land is in his possession since long time and he has been

cultivating the land since then hence, under Sec.190 M.P.Land Revenue Code, the Tehsildar rightly passed the order declaring him as an occupancy tenant. In fact, the relations between the plaintiff and defendant were very good so the document dated 23.09.1989 was executed by plaintiff pretending that the document was being executed for mutation in favour of defendant. The document is of complete sale deed and not a mortgage deed. Since the defendant was in possession of suit land as an occupancy tenant hence, his name has been rightly mutated. Mortgage deed was never executed and plaintiff has never been a title holder after 1989. Suit filed by plaintiff therefore be dismissed.

Plaintiff's Evidence :-

- (3) The plaintiff has produced certified copy of mortgage / sale deed (Ex.P.1) and the certified copy of the order the Tehsildar (Ex.P.2). In oral evidence he submitted the affidavits of himself and two other witness. Plaintiff Ramlal (P.W.1) deposed in affidavit supporting his pleadings. The witness Shyamlal (P.W.2) and Ramdeen (P.W.3) deposed that in their presence the documents (Ex.P.1) was executed and property was mortgaged in favour of defendant. In document (Ex.P.1) the title is written as Sale Deed but in contents it is written that the plaintiff has borrowed against the agriculture land and on repayment within two years the plaintiff would be entitled to get executed a sale deed in his favour from the defendant. In the deed it is also written that the profit of the agriculture land would be adjusted towards the interest and repayment of borrowed money. It is also mentioned that till repayment the property would not be sold to any other person. The plaintiff also produced the employee of Registrar Office Suresh (PW4), who stated that on 23.09.1989, the document Ex.P1 was executed and registered in the office of the Registrar, Chattarpur. The plaintiff has also produced one document Ex.P3 which is the certified copy of the affidavit of the defendant. In this affidavit the defendant had admitted that the land belonged to plaintiff and it was so entered in revenue record. Notary K.K.Tiwari (PW.5) stated that this document / affidavit was executed in his presence. This affidavit was

produced before the Revenue Authorities during recovery proceedings of land revenue arrear payable to State Government and attachment proceedings.

Defendant's Evidence :-

- (4) The defendant produced certified copies of Khasara (Ex.D1, D2 and D3). In these documents the plaintiff is recorded as Bhoomiswami and defendant as possession holder in remark column, during year 1994-2005. The defendant also produced some other documents and stated in his evidence that the plaintiff had admitted that the sale deed was executed in defendant's favour. However in those documents the particulars of agriculture land are not mentioned. The defendant – Keshav (D.W.1) in his affidavit deposed that the suit land was given to him as an occupancy tenant but in cross examination he could not tell as to why as per the content of mortgage deed steps for execution of sale deed were not taken by him. He also did not disclose why the deed or its certified copy after getting from the Office of Sub-Registrar, could not be produced by him. Witness Lacchu (D.W.2) and Kalluram (D.W.3) deposed in their affidavits that the document which was executed was sale deed and not the mortgage deed. However, during cross examination they admitted that they had no knowledge about the execution of mortgage deed. They also had no knowledge if any sale deed was executed or not.

Arguments of Plaintiff :-

- (5) Plaintiff's counsel argued that it is well proved from the evidence that plaintiff was Bhoomiswami of suit land and the sale deed dated 23.09.1989 is a usufructuary mortgage and not a sale deed. The defendant was also estopped from claiming himself as occupancy tenant or purchaser or getting mutation order in his favour. The defendant has received the mortgage money and interest from the profits of agriculture produce. Hence the order of the Tehsildar be set aside and plaintiff be given the possession of suite land treating it redeemed.

Arguments of Defendant :-

- (6) Defendant's counsel argued that the defendant has been the occupancy tenant and is in possession as such. His possession

has been found proved by the revenue Court and so the land has also been mutated in his name. The document in question is clearly an out and out sale as denoted in its heading, hence the suit is liable to be dismissed with costs.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विवाद्यक विरचित किय जाने के उपरांत एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये -

वादी के अभिवचन :-

- 1- वादी का अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कृषि-भूमि खसरा नंबर 412, 425, 643 एवं 648 कुल क्षेत्रफल 26.571 हेक्टेयर स्थित ग्राम गोरैया, तहसील एवं जिला छतरपुर का भूमिस्वामी है। पैसों की आवश्यकता होने से वादी के द्वारा प्रतिवादी से 85,000/- रुपये ऋण लेकर अपनी कृषि-भूमि को प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 23-9-1989 को बंधक विलेख निष्पादित कराते हुए बंधक कर दिया था और इसे रजिस्टर्ड करा दिया था। बंधक विलेख के अनुसार प्रतिवादी को कृषि-भूमि का आधिपत्य सौंप दिया गया था और यह शर्त हुई थी कि कृषि उपज से हुआ लाभ, मूलधन एवं ब्याज के विरुद्ध जमा किया जावेगा। तब से प्रतिवादी बंधक भूमि पर आधिपत्य किये हुये है और उससे लाभ ले रहा है। प्रतिवादी अब तक कृषि-भूमि का लाभ लेते हुये बंधक धन से अधिक राशि प्राप्त कर चुका है। इसके उपरांत भी अनेक बार कहने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा बंधक भूमि का आधिपत्य वादी को वापिस नहीं किया गया। सन् 2006 में प्रतिवादी अपने आपको मौरूसी कृषक होने का दावा करने लगा और उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपना नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित कराये जाने हेतु एक आवेदन दिया गया। जब वादी को जानकारी हुई तो उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई लेकिन तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-7-2007 को आदेश पारित करके प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण करने का आदेश दे दिया गया। चूंकि भूमि कभी भी प्रतिवादी को हस्तांतरित नहीं की गई अतः तहसीलदार की उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अतः वादी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त कराने व कृषि-भूमि का आधिपत्य वापिस दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

- 2- प्रतिवादी ने वादी के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये लिखित कथन में अभिवचन किया कि वादी की कृषि-भूमि लम्बे समय से प्रतिवादी के आधिपत्य में है। वह इस भूमि को लम्बे समय से जोत रहा है, अतः उसे मौरूसी कृषक मानते हुये धारा 190 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया गया है। वास्तव में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संबंध

अच्छे थे अतः वादी के कहने पर दस्तावेज दिनांक 23-9-1989 को वादी द्वारा प्रतिवादी से यह कहकर कि वह प्रतिवादी का नामान्तरण कृषि-भूमि पर कराने के लिये दस्तावेज लिखा रहा है, लेख कराया गया था। यह दस्तावेज बंधक विलेख न होकर पूर्णतया विक्रय विलेख है। चूंकि प्रतिवादी इस भूमि पर मौरूसी कृषक के रूप में आधिपत्यधारी था अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम सही रूप से नामान्तरित किया गया। बंधक विलेख कभी भी निष्पादित नहीं किया गया है और वादी का विवादित भूमि पर 1989 के उपरांत कभी भी स्वत्व नहीं रहा है। अतः वादी का वाद निरस्त किया जावे।

वादी की साक्ष्य :-

- 3- वादी की ओर से बंधक/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की गई एवं तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रदर्श पी-2) प्रस्तुत की गई। मौखिक साक्ष्य में वादी के द्वारा स्वयं का व अन्य दो साक्षियों का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी रामलाल (वा0सा0.1) ने अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र में कथन किया है। साक्षी श्यामलाल (वा0सा0-2) एवं रामदीन (वा0सा0-3) ने बताया है कि दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) उनकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया था। दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) में शीर्षक विक्रय विलेख के रूप में लिखा है लेकिन अंतर्वस्तु में यह उल्लेखित है कि वादी द्वारा कृषि-भूमि के विरुद्ध ऋण लिया गया है और इसकी चुकताई 2 साल में कर दिये जाने पर प्रतिवादी से वादी विक्रय-पत्र निष्पादित कराने का अधिकारी होगा। विलेख में यह भी उल्लेखित है कि प्रतिवादी कृषि-भूमि से जो भी लाभ प्राप्त करेगा, उसे उधार ली गई राशि की ब्याज एवं पुनर्भुगतान में समयोजित किया जावेगा। यह भी उल्लेखित किया गया है कि जब तक ऋण की राशि अदा नहीं हो जाती तब तक सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। वादी द्वारा रजिस्ट्रार आफिस के कर्मचारी सुरेश (वा0सा0-4) का कथन कराया गया जिसने यह बताया है कि दिनांक 23-9-1989 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, छतरपुर में दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) का निष्पादन व रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वादी की ओर से एक अन्य दस्तावेज (प्रदर्श पी-3) प्रस्तुत किया गया है जो प्रतिवादी के स्वयं के शपथपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इस शपथ पत्र में प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि यह भूमि वादी की है और राजस्व अभिलेख में उसके नाम प्रविष्टि थी। नोटरी के0के0तिवारी (वा0सा0-5) ने बताया है कि यह दस्तावेज /शपथपत्र उनकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया था। यह शपथपत्र प्रतिवादी द्वारा उस कार्यवाही में राजस्व अधिकारियों के समक्ष दिया गया था जिसमें कि राज्य शासन को राजस्व बकाया के भुगतान न होने के कारण भूमि की कुर्की कार्यवाही चल रही थी।

प्रतिवादी की साक्ष्य :-

- 4- प्रतिवादी की ओर से खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रदर्श जी1, जी2 एवं जी3) प्रस्तुत की गई है। इनमें वादी को भूमिस्वामी होने एवं प्रतिवादी के रिमॉक कालम में आधिपत्य होने का उल्लेख सन् 1994 से 2005 तक एवं बाद में तहसीलदार के आदेश की प्रविष्टि का उल्लेख है। प्रतिवादी द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये और साक्ष्य में यह दर्शाया गया कि वादी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किये गये थे कि विवादित भूमि के संबंध में विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया था लेकिन उक्त दस्तावेजों में कृषि-भूमि का विवरण उल्लेखित नहीं है। प्रतिवादी केशव (प्रति.सा.1) के द्वारा अपने शपथपत्र में यह कथन किया है कि वाद भूमि उसे शिकमी कृषक के रूप में दी गई थी लेकिन प्रतिपरीक्षण में वह यह नहीं बता सका कि वह बंधक विलेख के अनुसार या अन्य अनुबंध के अनुसार वादी से विक्रय विलेख निष्पादित कराने के संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठा सका। वह यह भी प्रकट नहीं कर सका कि विक्रय से संबंधित विलेख जो उसके पास उपलब्ध है, वह अपने पक्ष में क्यों प्रस्तुत नहीं कर सका एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सब-रजिस्ट्रार आफिस से लेने के बाद भी क्यों प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी लच्छू (प्रति0सा0-2) एवं कालूराम (प्रति0सा0-3) द्वारा अपने शपथपत्र में यह कथन दिया गया कि जो दस्तावेज लिखाया गया वह बंधक विलेख न होकर विक्रय विलेख है। लेकिन प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्हें बंधक विलेख के निष्पादन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है या नहीं इस संबंध में भी उन्हें जानकारी नहीं है।

तर्क वादी :-

- 5- वादी अधिवक्ता का तर्क है कि वादी विवादित भूमि का भूमिस्वामी था एवं वादी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि विक्रय विलेख दिनांक 23-09-1989 वास्तव में विक्रय-पत्र न होकर भोग-बंधक-पत्र है। प्रतिवादी विवादित भूमि पर मौरूसी कृषक या क्रेता होने या नामान्तरण कराने से विबंधित है। बंधक धन/ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान कृषि आगम के लाभ से हो चुका है। अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जावे और बंधक मोचन मानते हुये वाद भूमि का आधिपत्य वापस दिलाया जावे।

तर्क प्रतिवादी :-

- 6- प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी मौरूसी कृषक के रूप में आधिपत्यधारी रहा है। राजस्व न्यायालय द्वारा उसका आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है जिससे उसके पक्ष में नामान्तरण भी हो गया है। विवादित दस्तावेज के शीर्षक से ही दस्तावेज का विक्रय-पत्र होना प्रमाणित है, अतः वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

- Q.4** Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. - 40 Marks

Prosecution Case :-

As per the prosecution story on 17.07.1994 the marriage of Kavita was solemnized as per Hindu rites with Karamveer at University Campus, Rohtak. In the matrimonial home of Kavita along with her husband Karamveer, his mother Maya Devi, brothers Dharamveer and Paramveer and sister Soniya, also lived in House no. 36, in University Campus. After a few days of marriage they started harassing, maltreating and beating Kavita on account of demand of dowry. Despite all efforts there was no change in their behavior towards Kavita and their treatment became bad to worse. On 26.09.96, at 3.30 a.m. police got a telephonic information by unknown person that in house no.36 of University Campus a dead body of lady is lying. Then the police proceeded to gather information about the incident. The father of deceased Kavita, i.e, Kanwar Singh also reached there. He saw the place of incident and identified the dead body of his daughter.

On 27.09.96, Kanwar Singh (PW 3) made a complaint in the police station, Rohtak stating the harassment and cruelty on account of dowry and due to that his daughter Kavita committed suicide by consuming some poisonous substance. On this complaint the FIR (First Information Report) under Section 498 A, 304 B, 306/34 of IPC was registered. The Investigation Officer prepared the spot map and panchayatnama of dead body. The dead body was sent to hospital for post mortem. Statement of witnesses were recorded. Viscera collected at hospital was sent for chemical examination. After completion of investigation the police filed the charge-sheet in the court.

Defence Plea :-

As per defense version, the deceased was suffering from mental problem and being depressed she committed suicide for which the accused could not be held guilty. Further, Maya Devi, the mother-in-law of deceased was residing at Delhi on account of her

service of teaching at Delhi and she was not present at the place of incident on the date of incident. The prosecution case is based on evidence of interested witnesses only, who are biased and not reliable.

Evidence for prosecution :-

The father of deceased, Kanwar Singh (PW 3) stated that after 20-25 days of the marriage of Kavita, the accused persons – husband Karamveer, his brothers, mother and sister had started harassing Kavita for money and when Kavita came back to her father's home she narrated the whole story to her parents and brother. He also stated that when he enquired the matter, he was told by Karamveer and his mother that he was in need of money. They had to arrange marriage of Soniya, hence, if Rs.20,000/- were given to Karamveer, Kavita will not be harassed. He also received a letter from Kavita mentioning the continuous demand of dowry and harassment. Although he, the father of the deceased gave Rs. 20000/- and later on Rs.25,000/- for purchasing the Refrigerator and gold chain, and Karamveer Singh assured that in future Kavita will not be harassed by his family, but there was no change in situation and when his son Pankaj went to the marital home of Kavita with ritual articles on the eve of Sankranti, accused persons demanded Rs.30,000/- further and threatened him that they will throw out the articles. Later on the deceased was left at her father's home at Delhi and only when in June 1996, the father of the deceased requested to compromise and apologize in writing the accused persons took Kavita back to their home. After a few days when he went to the matrimonial home of Kavita she told that there had been no change in the circumstances. When money was given there was peace for 10-20 days, otherwise she was beaten mercilessly. Later on 26.09.1996 father of deceased received information about her death.

The brother of the deceased viz. Pankaj (PW4) stated that after returning from marital home his sister Kavita had told to him about the harassment and cruelty meted out to her for demand of dowry. He also stated that when he had gone to the marital home of Kavita with ritual articles on eve of Sankranti he was told about the demand of Rs.30,000/- and he was also told that the articles will be thrown out. He was also insulted by the accused persons.

Evidence for defence :-

Dr. B. P. Mehla (D.W.2) stated that Kavita, w/o Karamveer remained under his treatment and he had examined her in the OPD on 26.08.1996 vide OPD slip (Ex. D-C). As per record patient was suffering from moderate depressing episode. The patient suffered with sadness of mood, absentmindedness, loss of interest in the usual activities, decreased sleep and appetite for the last two months. She had complained against her in-laws and husband. She also expressed occasional suicidal ideas. In cross examination he admitted that the complaints in OPD Slip were recorded on telling by Kavita and her husband. He however admitted that he could not tell which thing was told by Kavita or by her husband. He also admitted that he did not record time taken by him to examine her in the slip but usually he takes 20-30 minutes for a new patient. He also admitted that no identification mark or signature was recorded on the slip. He denied of having given false evidence regarding illness of Kavita. Witness Rajbala (D.W.3) stated that on the date of incident Maya Devi was in the school at Delhi.

Arguments of Prosecutor :-

The prosecution argued that there is no dispute regarding the death of Kavita in her matrimonial home. There is also no dispute that her death was due to poisoning. It is well proved by prosecution evidence that the deceased was being harassed on account of demand of dowry after her marriage. It is also proved that the brother of deceased Pankaj (P.W.4) was insulted by the accused persons when he went to hand over the articles on eve of Sankranti. Since the accused persons created a charged atmosphere the deceased Kavita was compelled to think of committing suicide in her matrimonial home. All the accused persons resided in one house and Maya Devi, though was in service at Delhi but she frequently visited her family at Rohtak. This fact is also admitted by her during examination of accused under Sec.313 Cr.P.C. The prosecution witness stated that at the time of demand of dowry Maya Devi always remained with her son. In this case the presumption under Sec. 113 A / 113 B of Evidence Act is also applicable.

Arguments of Defence Counsel :-

The defence lawyer argued that the evidence of father and brother of the deceased is not reliable. They are interested persons and there are several contradictions in their testimonies. Nothing, except hearsay evidence, is there. Hence no cruelty or harassment or demand of dowry by accused is proved. The deceased Kavita was in depression and as per evidence of doctor she was a patient of absentmindedness, which may be a reason of suicide, hence, the accused persons could not be held guilty, therefore they be acquitted.

It has been argued that for proving the offence of dowry death the harassment or cruelty for demand of dowry should be soon before death but there was no such evidence on record. Apart from it there was no evidence that harassment or cruelty was meted out to deceased in connection of demand of dowry.

It has been stated by accused that on the date of occurrence mother in law Maya Devi was at Delhi and not in Rohtak. Rajbala (DW3) who is head mistress of school has proved that Maya Devi was working in school as teacher in Delhi.

आरोप विरचित करें एवं नीचे दिये गये अभिकथनों व साक्ष्य के आधार पर सुसंगत विधि के प्रावधानों को ध्यान में रख साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए निर्णय लिखें -

अभियोजन का प्रकरण :-

अभियोजन कहानी के अनुसार कविता का विवाह दिनांक 17-7-1994 को विश्वविद्यालय परिसर रोहतक में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार करमवीर के साथ सम्पन्न हुआ था। कविता के ससुराल में उसके पति के अतिरिक्त पति की माँ माया देवी, बहन सोनिया, भाई धरमवीर एवं परमवीर भी थे जो विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नंबर 36 में रहते थे। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही वे कविता को दहेज के कारण प्रताड़ित करना, दुर्व्यवहार करना और मारपीट करना आरम्भ कर दिये। सभी प्रयासों के बावजूद कविता के प्रति उनके रवैये में कोई अंतर नहीं आया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता गया। दिनांक 26-9-1996 को 3.30 बजे पुलिस को टेलीफोन से किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नंबर 36 में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तब घटना के बारे में पुलिस जानकारी लेने को अग्रसर हुई। वहाँ कविता का पिता कंवर सिंह भी पहुंच गया। उसने घटना स्थल देखा व अपनी पुत्री के शव को पहचाना।

दिनांक 27-09-1996 को पुलिस थाना सिविल लाईन रोहताक में कंवर सिंह (अ. सा.-3) द्वारा घटना की शिकायत की गई जिसमें दहेज के कारण परेशान करना व प्रताड़ित करना बताया गया और इसी के कारण उसकी पुत्री कविता द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना बताया गया। इस शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 498-ए, 304-बी, 306/34 भा.दं.स. के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। अन्वेषण अधिकारी के द्वारा मौका नक्शा व लाश पंचनामा तैयार किया गया। शव को शव परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अस्पताल से संग्रहित विसरा रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

बचाव पक्ष के अनुसार मृतिका मानसिक समस्या से पीड़ित थी और निराशा में होने से उसके द्वारा आत्महत्या की गई है जिसके लिये अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त माया देवी, मृतिका की सास अपनी शिक्षिका की सेवा के कारण दिल्ली में रहती थी और वह घटना दिनांक को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन प्रकरण हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य पर आधारित है, जो दुर्भावनाग्रस्त हैं व विश्वास योग्य नहीं है।

अभियोजन की साक्ष्य :-

मृतिका के पिता कंवरसिंह (अभि.सा.3) के द्वारा अपने कथनों में यह बताया गया कि कविता के विवाह के 20-25 दिन के बाद अभियुक्तगण पति कर्मवीर और उसके दोनों भाई, माँ और बहन ने कविता को पैसों के लिये परेशान करना आरम्भ कर दिया था और जब कविता अपने पिता के घर आयी थी तो उसने अपने माता-पिता और भाई को पूरी कहानी बतायी थी। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मामले की पड़ताल की गई तो कर्मवीर व उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी। उन्हें सोनिया का विवाह भी करना था, अतः 20,000/- रुपये वह कर्मवीर को और दे दें तो कविता को परेशान नहीं किया जायेगा। कविता द्वारा भेजा गया एक पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था जिसमें दहेज की निरंतर मांग व प्रताड़ना के बारे में लिखा था। यद्यपि वह, मृतिका के पिता ने 20,000/- व बाद में 25,000/- रुपये रेफरिजरेटर खरीदने और सोने की चेन खरीदने के लिये दिये थे और कर्मवीर सिंह द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अब उसका परिवार कविता को भविष्य में परेशान नहीं करेगा, लेकिन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया व जब संक्रांति पर मृतिका का भाई परंपरागत सामान लेकर गया तो अभियुक्तगण ने 30,000/- रुपये की मांग करते हुये सामान फेंकने की भी धमकी दी। जून 1996 में मृतिका को उसके पिता के पास दिल्ली में छोड़ दिया गया और बाद में जब मृतिका के पिता ने मामले को सुलझाने का निवेदन किया और लिखित में

क्षमा याचना की तब जून 1996 में कविता को अभियुक्तगण द्वारा अपने घर लाया गया। कुछ दिनों के बाद जब वह कविता के ससुराल गया तो उसे उसने बताया कि परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ है। जब पैसा दिया जाता है तो 10-20 दिनों के लिये शांति हो जाती है अन्यथा उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है। बाद में दिनांक 26-9-1996 को मृतिका के पिता को उसकी मृत्यु की सूचना मिली।

मृतिका के भाई पंकज (अ.सा.-4) ने कथन किया है कि बहिन कविता ने ससुराल से लौटकर उसे दहेज की मांग पर से दी जाने वाली प्रताड़ना व दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। साक्षी ने यह भी कहा कि जब संक्रांति की संध्या पर वह कविता की ससुराल परम्परागत सामान लेकर गया था, उससे 30,000/- की मांग बाबत कहा गया था तथा सामान फेंकने की भी धमकी भी दी गई। अभियुक्तगण द्वारा उसे अपमानित भी किया गया।

बचाव साक्ष्य :-

डॉक्टर बी.पी. मेहला (प्रति.सा.-2) द्वारा यह कथन दिया गया कि करमवीर की पत्नि कविता उसके अधीन उपचार में रही और दिनांक 26-8-1996 को उसने उसका निरीक्षण ओ.पी.डी. में ओ.पी.डी. पर्ची (प्रदर्श डी0-सी) के अनुरूप किया था। दस्तावेज के अनुसार मरीज मामूली डिप्रेशन से पीड़ित थी। मरीज दुःखी थी, शून्यचित्त थी और सामान्य गतिविधियों में रूचि खो चुकी थी। उसकी नीद व भूख पिछले 2 माह से कम हो रही थी और उसने अपने ससुराल वालों और पति के विरुद्ध शिकायत की थी। उसने यदाकदा आत्महत्या संबंधी विचारों का आना भी व्यक्त किया था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि परची में लिखी गई शिकायतें कविता एवं उसके पति के बताने पर लिखी गई थी। लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि कौनसी बातें पति ने व कौन सी बातें कविता ने बतायी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मरीज को देखने में लगा समय परचे में नहीं लिखा है लेकिन सामान्यतः वह नये मरीज को देखने में 20 से 30 मिनट का लेता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा मरीज का पहचान चिन्ह या हस्ताक्षर परचे पर नहीं लिखे। उसने कविता की बीमारी के संबंध में गलत कथन देना अस्वीकार किया है। साक्षी राजबाला (प्रति.सा.-3) ने कथन दिया है कि घटना दिनांक को माया देवी देहली में स्कूल में थी।

अभियोजक का तर्क :-

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि कविता की मृत्यु उसके ससुराल में होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। मृत्यु के जहर से होने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। अभियोजन की साक्ष्य से विवाह के बाद से ही दहेज को लेकर परेशान किया जाना और प्रताड़ित किया जाना प्रमाणित है। यह भी प्रमाणित है कि मृतिका के भाई पंकज (अ.सा.-4) को अभियुक्तगण के द्वारा अपमानित किया गया जब वह संक्रांति के दिन सामान

देने उसकी ससुराल गया था। क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा तनावपूर्ण वातावरण निर्मित किया गया जिससे कविता को अपनी ससुराल में आत्महत्या करने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु विवश होना पड़ा। सभी अभियुक्तगण एक ही मकान में रहते थे, माया देवी यद्यपि दिल्ली में नौकरी करती थी किन्तु वह अपने परिवार में रोहतक अक्सर आती रहती थी। उसके द्वारा यह बात अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में स्वीकार की गयी है। यह अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया है कि जब भी दहेज की मांग की जाती थी माया देवी हमेशा अपने पुत्र के साथ रहती थी। प्रकरण में धारा 113-ए / 113-बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा प्रयोज्य होती है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :-

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि मृतिका के पिता और भाई के साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। वे हितबद्ध पक्ष हैं, उनके साक्ष्य में कई विसंगतियाँ हैं। अनुश्रुत साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। अतः क्रूरता या परेशान किया जाना या अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग किया जाना प्रमाणित नहीं है। मृतिका कविता अवसादग्रस्त थी व चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार वह शून्यचित्तता रोग से ग्रसित थी जो आत्महत्या करने का कारण हो सकता है। अतः अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, फलतः उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

यह तर्क किया गया है कि दहेज मृत्यु के अपराध के लिये दहेज हेतु प्रताड़ना एवं क्रूरता मृत्यु के ठीक पहले होना चाहिये लेकिन इसके लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ क्रूरता एवं प्रताड़ना का व्यवहार किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया कि घटना दिनांक को मृतिका की सास माया देवी दिल्ली में थी, वह रोहतक में नहीं थी। राजवाला (प्रति.सा.-3) जो कि विद्यालय की प्रधान अध्यापिका है ने प्रमाणित किया है कि माया देवी शिक्षिका के रूप में दिल्ली में कार्यरत थी।
